अत्यावश्यक

# राजस्थान सरकार
# वित्त विभाग
# (आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(30)वित्त–1(1)आ.व्य./2018 जयपुर, दिनांक : 27 मार्च, 2019

## परिपत्र

**विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए परिवर्तित आय–व्ययक अनुमान।**

1. राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) वर्ष 2019–20 राजस्थान विधानसभा में दिनांक 13 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत किया गया था। राज्य विधानसभा द्वारा तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (सं. 4) विधेयक, 2019 पारित कर दिया गया है। राज्य विधानसभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम 4 माह, अर्थात् 31 जुलाई, 2019 तक के व्यय के लिए लेखानुदान अनुमत किया गया है। राज्य सरकार का परिवर्तित बजट दिनांक 31 जुलाई, 2019 से पूर्व राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर पारित करवाया जाना अपेक्षित है।

2. यह उल्लेखनीय है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्य का बजट विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात् कार्य विशेष के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग को अतिरिक्त राशि अनुपूरक अनुदान की मांगों (Supplementary Grants) के माध्यम से या आकस्मिकता निधि (Contingency Fund) से अग्रिम स्वीकृत कर ही उपलब्ध कराई जा सकती है। अतः वित्तीय अनुशासन हेतु संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट नियंत्रण अधिकारियों को किसी भी लेखा शीर्ष में अतिरिक्त बजट आवंटन (Additional Authorisation) की आवश्यकता होने पर केवल पुनर्विनियोजन (Re-appropriation), आकस्मिकता निधि अथवा अनुपूरक अनुदान (Supplementary Demand) के माध्यम से ही अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जावे। अतः बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि तात्कालिक आवश्यकता/अपरिहार्य परिस्थिति उपस्थित नहीं हो एवं आगामी वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त प्रावधान (Additional Authorisation) अनुमत किए जाने की आवश्यकता नहीं पड़े।

3. सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे उनके द्वारा नियंत्रित ग्रांट्स का एक बार पुनः गहन परीक्षण कर लें एवं अपने से संबंधित ग्रांट निम्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार करें:–

i) **राजस्व एवं पूंजीगत परिव्यय के परिवर्तित अनुमान** :– वर्तमान में संचालित समस्त योजनाओं का विस्तृत अध्ययन किया जाए। ऐसे कार्यक्रम/योजनाएं जिनकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता/उपादेयता समाप्त हो गई हो या भारत सरकार द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत योजना बंद कर दी गई हो या उसे आगे निरंतर रखा जाना संभावित नहीं हो, अथवा

कोई अन्य बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती हो, तो उन्हें समाप्त करने, योजना का आकार घटाने अथवा नये कार्यक्रमों में विलय के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। वर्तमान में जिन कार्यक्रमों/योजनाओं हेतु प्रतिबद्ध एवं योजनाओं में प्रावधान किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा करके विभाग द्वारा प्रतिबद्ध एवं योजनाओं में से एक ही जगह प्रावधान कराने हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाकर इन्हें आयोजना विभाग एवं वित्त विभाग के ध्यान में लाए जाएं।

ii) **नवीन योजनाएं/कार्यक्रम** :– आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित नवीन योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए विभागीय प्रस्ताव मय योजना का प्रारूप, महत्वपूर्ण घटक, लाभार्थी, वित्तीय भार, क्रियान्वयन के चरण आदि का विवरण वर्ष 2019–20 हेतु अनुमत संसाधन सीमा के भीतर ही वित्त (व्यय) विभाग को 10 अप्रैल, 2019 तक उपलब्ध करावें।

iii) **परिवर्तित अनुमान** :– वर्ष 2019–20 के बजट अनुमानों, जो राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, के संदर्भ में सभी योजनाओं/लेखा शीर्षों के अंतर्गत विभागीय आवश्यकताओं का गहनता एवं सूक्ष्मता से आकलन कर यह सुनिश्चित कर लेवें कि बजट अनुमानों में प्रस्तावित प्रावधान विभाग की पूर्ण वर्ष की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। यदि किसी योजना/लेखा शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त राशि अथवा प्रावधित राशि से कम राशि की आवश्यकता महसूस की जाती है तो संबंधित विभाग तदानुसार संबंधित योजना/लेखा शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त राशि परिवर्तित बजट के माध्यम से उपलब्ध कराने के समेकित प्रस्ताव मय विस्तृत औचित्य तैयार कर, दिनांक 10 अप्रैल, 2019 तक प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

iv) **केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में प्रावधान** :– भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपलब्ध होने वाली संभावित निधियों (Tentative Allocation) की जानकारी के साथ विभागीय प्रस्ताव दिनांक 10 अप्रैल, 2019 तक वित्त (व्यय) विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी विभाग द्वारा आवश्यक बजट प्रावधान कराने की कार्यवाही समय पर नहीं की जाएगी तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा बजट प्रावधान के अभाव में राशि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होगा। ऐसे में संबंधित योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

v) **राजस्व प्राप्ति के परिवर्तित अनुमान** :– बजट 2019–20 में कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियों के अनुमानों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभागों द्वारा समीक्षा की जा कर यदि इनमें परिवर्तन की आवश्यकता हो तो तदानुसार प्रस्तावित वृद्धि/परिवर्तन से विस्तृत कारण सहित वित्त (आय–व्ययक) विभाग को अवगत कराया जाए। साथ ही ऐसी असामान्य परिस्थितियों/कारणों का संक्षिप्त उल्लेख किया जाये जिनके कारण आगामी वर्ष में प्राप्तियां प्रभावित होने की संभावना है। विभागीय प्रस्ताव के साथ 10 अप्रैल, 2019 की स्थिति में बकाया राशियां तथा इनके विरुद्ध वर्ष 2019–20 में वसूली योग्य समझी जाने वाली राशि का विवरण उपलब्ध कराया जाए। विभागों से यह अपेक्षा है कि वे बकाया राशियों की

विस्तृत समीक्षा कर उनकी शीघ्र वसूली के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करें एवं इसके आधार पर ही आगामी वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों के अनुमानों में वृद्धि के प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

समस्त बजट नियन्त्रण अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे उक्त निर्देशों की पालना में आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुनः बी.एफ.सी. की बैठक आयोजित करने हेतु विभागीय प्रस्ताव दिनांक 10 अप्रैल, 2019 तक वित्त (व्यय) विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। वित्त विभाग द्वारा ऐसे सभी विभागों के लिये जो बजट 2019–20 में परिवर्तन की आवश्यकता समझते हैं, के लिये संशोधित बी.एफ.सी. (प्रतिबद्ध एवं योजना एक साथ) 15 अप्रैल से 15 मई के मध्य आयोजित की जायेगी।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–
(1) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
(2) समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
(3) विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
(4) निजी सचिव, मुख्य सचिव।
(5) प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
(6) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
(7) समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
(8) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(9) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंन्द्र (NIC)।
(10)तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को वित विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है:–
(1) सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
(2) सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
(3) रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
(4) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
(5) सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
(6) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
(7) सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।

(शरद मेहरा)
निदेशक, वित्त (बजट)

**[ 4 / 2019]**